न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–36 / 2020 दायर दिनांकः 12.05.2020

GCMS NO:- 2019/00063

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामावतार आ0 हरचन्दा जाति खाति निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. दशरथ आ0 हरचन्दा जाति खाति निवासी ढाढूण हाल निवासी बून्दी जिला बून्दी।
3. रामराय आ0 हरचन्दा जाति खाति निवासी ढाढूण हाल निवासी बून्दी जिला बून्दी।
4. कमला पत्नी हरचन्दा जाति खाति निवासी ढाढूण तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गीता देवी पत्नी विमल कुमार जाति महाजन निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. टीकम जैन आ0 विमल कुमार जाति महाजन निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. मोहनलाल आ0 विमल कुमार जाति महाजन निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. लेखराज आ0 विमल कुमार जाति महाजन निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. नुरका बाई पत्नी कल्याण जाति खाती निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. मुकेश कुमार आ0 गोपाल जाति खाती निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. विनोद कुमार आ0 गोपाल जाति खाती निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. रामभरोसी बाई पुत्री गोपाल जाति खाती निवासी ढाढूण हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 01.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम ढाढूण पटवार मण्डल मोडसा तहसील नैनवां में जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 63 पुराना 63 नया के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 724,725,731,732,753 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण को आपसी सहमति विभाजन मे प्राप्त हुई थी। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। यह कि प्रार्थी की भूमि में जाने का रास्ता पूर्वजों के समय से ग्राम चन्दनपुरा से ढाढूण जाने वाली आम सडक में से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर कृषि भूमि खसरा संख्या 745,734,723,733,725 के बीच स्थित मेड के सहारे सहारे उत्तरी दिशा की तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

खसरा संख्या 724 तक पहुंचता है जो कदीमी रास्ता है। सि पर नरेगा योजनान्तर्गत ग्रीकरा [illegible] केवल रास्ता खसरा संख्या 74, 734 व 733 तक की मेढ मे बना हुआ है। यह कि उक्त रास्ता [illegible] नक्शे मे अंकित नही होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ते मे डाल रखी ग्रीनरे को उठाकर रास्ते की जगह को हाक कर उक्त रास्ते की जगह को फाडकर बन्द करना चाहते है।यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 12 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि मौके पर रास्ता मौके पर अप्रार्थी गीता बाई के खातेदारी के खेत मे से होकर निकला हुआ है, जो अप्रार्थीया का निजी है। यह कि रास्ता जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल रंग से प्रदर्शित है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर उक्त रास्ते के अस्तित्व मे होते हुए भी अतिरिक्त एक नवीन रास्ता दुर्भावना पूर्वक दूषित मानसिकता से अप्रार्थी गीता देवी के खेत मे कायम कर गीता देवी को क्षति कारित करने के आशय से विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो पोषणीय नही है खारिज होने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध मे तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नम्बरान से मौके पर लगभग 7–8 फिट चौडा रास्ता ख0सं0 745, 751 मे से मौके पर बने हुए खाली के सहारे वैकल्पिक रूप से निकाला हुआ है। जो ख0नं0 723 की दक्षिणी मेढ के सहारे होता हुआ प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि पर पहुंचता है। वैकल्पिक रास्ता खसरा सं. 734 की दक्षिणी पश्चिमी मेढ के सहारे स्थित खाल के सहारे–2 निकल रहा है। प्रस्तावित रास्ते की रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार होगी–

	खसरा संख्या	लम्बाई x चौडाई	वर्गफिट क्षेत्रफल
1	734	421 x 13	5473
2	745	330 x 13	4290

उक्त रास्ते हेतु कुल 9763 वर्गफिट भूमि उपयोग मे आयेगी। जिसे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट मोडसा मे पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र मे बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट मे प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम डाढूण पटवार मण्डल मोडसा तहसील नैनवां मे जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 63 पुराना 63 नया के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 724,725,731,732,753 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए निम्नानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

	खसरा संख्या	लम्बाई x चौडाई	वर्गफिट क्षेत्रफल
1.	734	421 x 13	5473
2.	745	330 x 13	4290

प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "A" मे लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष मे जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ "A" नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां में विचाराधीन प्रकरण संख्या **47/प्रार्थना पत्र/2020** में उक्त रास्ते के सम्बन्ध में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा हटने के पश्चात् मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:22:09 IST
Reason: SelfAttested